कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14367/1306 दिनांक:– 16·08·2013

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 252/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

व0लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर पंचायत महाराजगंज
अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–252/2013–14
(वर्ष– 2010–11 से 2011–12)

1.प्रस्तावना

नगर पंचायत महाराजगंज, जिला सिवान के वर्ष 2010–11 से वर्ष 2011–12 की अवधि का नमूना लेखापरीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय अंकेक्षण शाखा, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 25.02.2013 से दिनांक 09.03.2013 तक की अवधि में की गई।

2. प्रशासनः–

लेखा परीक्षा अवधि में इसके निम्न पदाधिकारी थेः–

क्र०सं०	अध्यक्ष	कार्य अवधि
(i)	श्री नागमणी सिंह	01.04.2010 से 31.03.2012

क्र०सं०	उपाध्यक्ष	कार्य अवधि
(i)	श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह	01.04.2010 से 31.03.2012

क्र०सं०	कार्यपालक पदाधिकारी	कार्य अवधि
(1)	श्री संजय कुमार	01.04.2010 से 04.04.2010
(2)	श्री पृथ्वी राज सिंह	04.04.2010 से 27.05.2010
(3)	श्री सुबोध कुमार	27.05.2010 से 25.12.2010
(4)	श्री सत्येन्द्र कुमार सहाय	25.12.2010 से 16.08.2011
(5)	श्री संतोष कुमार	16.08.2011 से 31.03.2012

3. अंकेक्षण का क्षेत्रः–

अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये एवं जाँच किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I(a) में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किये अथवा असंधारित, अभिलेखाओं की सूची परिशिष्ट –I(b) मे दी गई है।

4. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :–

पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति निम्नलिखित हैः–

154

क0 सं0	अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या	कंडिकाओं की कुल संख्या	निरसतारित कंडिकाओं की संख्या	लंबित कंडिकाओं की संख्या
1	491/2006–07	31	शून्य	31
2	643/2010–11	22	8	16

पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के निराकरण करने हेतु अनुरोध करने पर नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 643/2010–11 का अनुपालन किया गया था, जिसमें कुल कंडिकाओं की संख्या 22 में से 8 कंडिकाओं को निरस्त करने हेतु सुझायी गयी है।

अतः शेष कंडिकाओं के निराकरण हेतु शीघ्र कदम उठाये जाय एवं उनका अनुपालन प्रतिवेदन लेखा परीक्षा कार्यालय को भेजा जाय।

5. **महत्वपूर्ण अंकेक्षण उपलब्धियाँ:–**

क्र०सं०	विवरण	कंडिका सं०	राशि (₹ लाख में)
1	गृह कर का माँग व वसूली पंजी का संधारण नहीं	11	–
2	अग्रिम के विरूद्ध कार्य नहीं	13	5.25
3	बन्दोवस्ती की राशि की वसूली नहीं	14(I)	0.29
4	बन्दोबस्ती नहीं होने से न०प० को हानि	14(III)	0.51
5	मोबाईल टावर से वसूली नहीं	15	4.04
6	असमायोजित अग्रिम	16(i)	7.94

6. **वित्तीय अधिदृश्य:–**

नगर पंचायत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से विभिन्न अनुदानों तथा स्वयं के श्रोतों से वित्त संपोषित है। वर्ष 2010–11 से 2011–12 के अवधि में नगर पंचायत द्वारा संधारित/प्रस्तुत रोकड़बहियों के अनुसार आय एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:–

(क) रोकड़बही विकास एवं सामान्यः–

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (₹ में)	वर्ष 2011–12 (₹ में)
1	प्रारंभिक शेष	6861788/–	6447431/–
2	प्राप्तियाँ		
(I)	अनुदान		
(क)	पि०क्षे०अ० निधि	1152760/–	–
(ख)	कबीर अंत्येष्टि	311000/–	84000/–
(ग)	जनगणना	189500/–	171400/–
(घ)	मानदेय न० प्रबंधक	140000/–	–
(ii)	स्वयं श्रोत्र	195554/–	57683/–
(iii)	स्वर्ण जयंती से स्थानांतरण	35913/–	–
(iv)	ब्याज	15418/–	131487/–
(v)	अन्य	43549/–	2718/–
(vi)	कुल प्राप्ति	2083694/–	447288/–
3	कुल योग	8945482/–	6894719/–
4	व्यय		
(i)	योजना		
(क)	द्वादश वित्त ट्रॉली क्रय	111000/–	–
(ख)	नीमा मेला में ईट बिछाई	86000/–	–
(ii)	पार्षद भत्ता	103250/–	38500/–
(iii)	बोलेरो खरीद	642658/–	–

(iv)	ट्रैक्टर खरीद	400511/–	–
(v)	जनगणना	108500/–	78000/–
(vi)	वेतन मद	716651/–	360962/–
(vii)	स्थापना	293731/–	98589/–
(viii)	उपादान	–	117936/–
(ix)	अन्य	35750/–	258/–
(x)	कुल व्यय	2498051/–	694245/–
(xi)	अंतशेष	6447431/–	6200474/–

(ख) राष्ट्रीय गंदी बस्ती कार्यक्रम/स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (₹ में)	वर्ष 2011–12 (₹ में)
1	प्रारंभिक शेष	136376/–	35265/–
2	प्राप्तियाँः–		
(i)	अनुदानः–	–	–
(ii)	ब्याज	8889/–	–
(iii)	अन्य	–	–
(iv)	कुल प्राप्ति	8889/–	–
3	कुल योग	145265/–	35265/–
4	व्ययः–		
(i)	योजना	–	–
(ii)	अन्य	110000/–	–
(iii)	कुल व्यय	110000/–	–
5	अंतशेष	35265/–	35265/–

(ग) विधान पार्षद मदः–

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (₹ में)	वर्ष 2011–12 (₹ में)
1	प्रारंभिक शेष	17600/–	17600/–

2	प्राप्ति	–	–
3	योग	17600/–	17600/–
4	व्यय	–	–
5	अंतशेष	17600/–	17600/–

(घ) पार्षद भत्ताः–

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (₹ में)	वर्ष 2011–12 (₹ में)
1	प्रारंभिक शेष	16300/–	250/–
2	प्राप्तियाँ		
(क)	अनुदान	–	67200
(ख)	ब्याज	–	–
(ग)	अन्य	23750/–	–
(घ)	कुल प्राप्ति	23750/–	67200/–
3	कुल योग	40050/–	67450/–
4	व्यय		
(क)	योजना	23000/–	–
(ख)	अन्य	16800/–	–
(ग)	कुल व्यय	39800/–	–
5	अंतशेष	250/–	67450/–

(ड.) जनगणना + पशुगणनाः–

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (₹ में)	वर्ष 2011–12 (₹ में)
1	प्रारंभिक शेष	शून्य	81000/–
2	प्राप्तियाँ		
(क)	अनुदान	189500/–	174118/–

१५०

(ख)	ब्याज	शून्य	शून्य
(ग)	अन्य	शून्य	शून्य
(घ)	कुल प्राप्ति	189500/–	174118/–
(ड.)	कुल योग	189500/–	255118/–
3	व्यय		
(क)	प्रगणकों का मानदेय	108500/–	78000/–
(ख)	जनगणना में विविध व्यय	शून्य	3000/–
(ग)	अन्य	शून्य	3000/–
(घ)	कुलव्यय	108500/–	84000/–
4	अंतशेष	81000/–	171118/–

(च) तेरहवीं वित्त आयोगः–

क्र0 सं0	**विवरण**	**वर्ष 2010–11 (₹ में)**	**वर्ष 2011–12 (₹ में)**
1	प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
2	प्राप्तियाँ		
(i)	अनुदान	–	4043000/–
(ii)	ब्याज	–	2236/–
(iii)	अन्य	–	–
(iv)	कुल प्राप्ति	–	4045236/–
3	कुल योग	शून्य	
4	व्यय		
(i)	योजना	–	–
(ii)	अन्य	–	–
(iii)	कुल व्यय	–	–
5	अंतशेष	शून्य	4045236/–

(छ)(I) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग असम्बद्ध अनुदानः–

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (₹ में)	वर्ष 2011–12 (₹ में)
1	प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
2	प्राप्तियाँ		
(i)	अनुदान	–	2000000/–
(ii)	ब्याज	–	–
(iii)	अन्य	–	–
(iv)	कुल प्राप्ति	–	2000000/–
3	कुल योग	शून्य	2000000/–
4	व्यय		
(i)	योजना	–	–
(ii)	अन्य	–	–
(iii)	कुल व्यय	–	–
5	अंतशेष	शून्य	2000000/–

(II) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग वेतन/पेन्सन, विद्युत विपत्र सेवाप प्रदायी, विकास कार्यः–

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (₹ में)	वर्ष 2011–12 (₹ में)
1	प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
2	प्राप्तियाँ	–	2264760/–
3	योग	शून्य	2264760/–
4	व्यय	–	–
5	अंतशेष	शून्य	2264760/–

(III) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग हाथ से मैला ढ़ोने की प्रथा की समाप्ति नगरीय सड़क जलापूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं समस्या, पार्किंग स्थल सड़कों के लिए रोशनी:–

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (₹ में)	वर्ष 2011–12 (₹ में)
1	प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
2	प्राप्तियाँ	–	1653187/–
3	योग	शून्य	1653187/–
4	व्यय	–	–
5	अंतशेष	शून्य	1653187/–

(ज) वेतन + मुद्रांक:–

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (₹ में)	वर्ष 2011–12 (₹ में)
1	प्रारंभिक शेष	822601/–	260428/–
2	प्राप्तियाँ		
(क)	अनुदान	2140000/–	405338/–
(ख)	ब्याज	शून्य	3258/–
(ग)	अन्य	3/–	शून्य
(घ)	कुल प्राप्ति	2140003/–	408596/–
3	कुल योग	2962604/–	669024/–
4	व्यय		
(क)	वेतन+मानदेय	701651/–	401619.50/–
(ख)	स्टेशनरी का भुगतान/उपादान	525/–	117936/–
(ग)	अन्य	2000000/–	शून्य
(घ)	कुलव्यय	2702176/–	519555.50/–
5	अंतशेष	260428/–	149468.50/–

7. अनुदानः—

नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण निर्धारित प्रपत्र मे नहीं किया गया था, जिसके चलते पूर्व का अनुदान की प्राप्ति, वित्तीय वर्ष 2010—11 एवं 2011—12 में प्राप्त अनुदान, व्यय एवं 31.03.12 का वास्तविक ज्ञात नहीं हो सका।

विभिन्न रोकड़बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010—11 एवं 2011—12 में कुल 1,18,54,761/— अनुदान की राशि की प्राप्ति हुई थी।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट— II पर संलग्न हैं।)

अंकेक्षण टिप्पणीः—

अनुदान पंजी का संधारण निर्धारित प्रपत्र में की जाय एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र सहित अगले लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाय।

8. बजटः—

नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 से 85 में नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष का बजट प्राक्कलन तैयार कराना है, जिसमें 15 मार्च तक सशक्त स्थायी समिति से पारित कराकर नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजना है। जिसे वह 31 मार्च तक सरकार द्वारा नगर पंचायत को वापस करेगी एवं नगर पंचायत द्वारा बजट प्राक्कलन के अनुसार ही किसी प्रकार का व्यय करना था।

वित्तीय वर्ष 2010—11 एवं 2011—12 का बजट नहीं बनाया गया था। अतः बजट तैयार कर अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

9. वार्षिक लेखाः—

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 88 एवं 89 में नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति के चार माह के भीतर प्रत्येक प्राप्ति एवं व्यय का वार्षिक लेखा तैयार किया जाना था। नगर पंचायत महाराजगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 2010—11 एवं 2011—12 का वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। अतः भविष्य में ससमय वार्षिक लेखा तैयार कर अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

10. नहीं व कम जमा(₹16,482.00)

नगर पंचायत महाराजगंज द्वारा गृह कर की वसूली के जाँच में पाया गया कि विभिन्न व्यक्तियें द्वारा की गई वसूली में से कुल 16,482/— नगर पंचायत के कोष में जमा नहीं किया गया था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट— III पर संदर्भित)

अतः नहीं वसूली गयी रशि 16,482/— संबंधित व्यक्ति से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय एंव जमा का विवरण अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाय।

11. गृह कर का माँग व वूसली पंजी का संधारण नहीं:-

नगर पंचायत महाराजगंज द्वारा गृह कर का माँग व वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इसके चलते मकान कर आदि का पूर्व का माँग, वर्तमान माँग एवं 31.03.12 को वास्तविक अवशेष ज्ञात नहीं किया जा सका। साथ ही माँग एवं वसूली का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः सुझाव दिया जाता है कि माँग एवं वसूली पंजी का संधारण कर वास्तविक स्थिति से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

12. कार्य अपूर्ण(₹1.42 लाख)

संचिका एवं चेक पंजी के अनुसार बिहार बैट्री एंव इलेक्ट्रिक, सिहोंता को ₹142000/- चेक सं० 822900 दिनांक 31.08.10 के द्वारा दिया गया था, परन्तु संचिका में मात्र एक नोटिस पाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 22.10.2011 यानि लगभग 14 माह बीत जाने के बाद भी संबंधित फर्म द्वारा कार्य संपन्न नहीं किया गया।

मूल संचिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। नगर पंचायत का जबाब संतोषप्रद नहीं था। अतः अग्रिम राशि ₹1,42000/- की वसूली/समायोजन सुनिश्चित कर अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाए।

13. चापाकल की योजना में अग्रिम के विरूद्ध कार्य नहीं(₹5.25 लाख)

यो० सं०- 01/10-11 (मुद्रांक शुल्क)	
योजना का नाम -	प्रत्येक बार्ड में 5-5 चापाकल का अधिष्ठापन कार्य (70 चापाकल)
प्राक्कलित राशि -	1197000/- (70 x 17100)
अभिकर्ता -	श्री पृथ्वी राज सिंह, कनीय अभियंता
कार्यादेश -	10.06.2010
अग्रिम का मांग -	15.06.2010 ₹525000/-
अग्रिम का भुगतान -	16.06.2010
Ch. No. 753978	525000/-

अंकेक्षण टिप्पणीः–

(1) नगर पंचायत द्वारा तीन तिथियों में क्रमशः 28/05/10, 02/06/10 एवं 05/06/10 में निविदा हेतु अल्पकालिक निविदा हेतु सूचना जारी की गयी थी, परन्तु एक भी संवेदक द्वारा भाग नहीं लिया गया फलतः दिनांक 10/06/2010 को विभागीय कार्य करने हेतु आदेश जारी किया गया नगर पंचायत द्वारा विभागीय कार्य नहीं कराने संबंधित निर्देश के बाद विभागीय कार्य कराया गया था। इस प्रकार विभागीय कार्य कराने हेतु विभाग (नगर विकास एवं आवास विभाग) द्वारा स्वीकृति नहीं लिया गया था। जबाब में कहा गया कि संवेदक द्वारा डाक में शामिल नहीं होने के कारण प्रस्तावित दर पर नगर पंचायत के हित में कराया गया था। जवाब संतोषप्रद नहीं था।

(2) इस योजना में विभाग ने अभिकर्त्ता श्री पृथ्वीराज सिंह, कनीय अभियंता द्वारा कार्य प्रारंभ करने हेतु **प्रथम अग्रिम दिनांक 16.06.10 को ₹5,25,000.00 प्रदान किया गया।** परंतु लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी कनीय अभियंता द्वारा कार्य का प्रारंभ भी नहीं किया गया था। संचिका के अनुसार दो नोटिस क्रमशः दिनांक 17.12.10, 15.03.12 को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अभिकर्त्ता कनीय अभियंता को दी गयी थी इसके बावजुद अबतक कार्य नहीं कराया गया न ही राशि वापस जमा किया गया था।

उपरोक्त वर्णित विवरण से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित कनीय अभियंता द्वारा अबतक कार्य नहीं कराया गया है। जबाब में बतलाया गया कि कार्य की स्थिति एवं अग्रिम वापसी हेतु नोटिस दिया जाएगा। चूँकि संबंधित अभियंता को लगभग तीन वर्ष पूर्व कार्य हेतु अग्रिम भुगतान किया गया था जो कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। अतः अग्रिम की राशि 5,25,000.00 ब्याज सहित अविलम्ब वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय एवं जमा का विवरण अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

14(I) सैरातों की बन्दोबस्ती राशि वसूल नहीं(₹28,800.00)

सैरातों की बन्दोबस्ती की संचिका व पंजी के नमूना जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में नगर पंचायत अन्तर्गत सैरातों की बन्दोबस्ती किया गया था जिसकी बन्दोबस्ती की राशि व वूसली का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र०सं०	**सैरात का नाम**	**बन्दोबस्ती की राशि**	**जमा राशि**	**नहीं जमा राशि**	**बन्दोवस्तधारी का नाम सर्वश्री**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	सब्जी मंडी (गणहट्टी)	47800/–	25000/–	22800/–	बब्लु कु० सिंह ग्राम– सिहौता
2	लोडिंग एवं	9800/–	9800/–	–	–

	अनलोडिंग				
3	टिन–टिकट	12500/–	6500/–	6000/–	संजय कुमार यादव
4	शौचालय	11000/–	10000/–	–	–
			कुल–	28800/–	

उपरोक्त नहीं जमा राशि ₹28,800/– की वसूली हेतु सब्जी मंडी के बन्दोबस्ती धारी श्री बब्लू कुमार सिंह एवं टीन – टिकट के बन्दोवस्ती धारी श्री संजय कुमार यादव को अंतिम बार क्रमशः पत्रांक 135 एवं 134 दिनांक 22/10/2011 को स्मारित किया गया, परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया था, जिसके चलते आजतक बकाया राशि की वसूली नहीं हो सकी।

अतः कम जमा राशि ₹28,800.00 बंदोबस्तीधारी से वसूल कर अविलम्ब नगर पंचायत निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

(II) बन्दोबस्ती हेतु एकरारनामा निर्दिष्ट स्टाम्प पेपर पर नहीं करने से राजस्व हानि (₹2433.00)

बन्दोबस्ती की संचिका एवं पंजी के नमूना जाँच मे पाया गया कि संचिका में एकरारनामा की प्रति उपलब्ध नहीं था और न ही संचिका में एकरारनामा का जिक्र किया गया था।

नियमानुसार एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर किया जाना था एवं मुद्रांक शुल्क के मद में बन्दोवस्ती की राशि का 3% का मुद्रांक शुल्क के साथ एकरारनामा किया जाना था जो नहीं किया गया था।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2010–11 में किए गए बन्दोवस्ती की राशि 81,100/– का 3% यानि 2433/– की हानि हुई। इसकी वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से कर राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

(III) बन्दोबस्ती नहीं होने से नगर पंचायत को हानि(₹50,835.00)

वित्तीय वर्ष 2011–12 में सैरातों की बन्दोवस्ती नहीं की गई थी। कुछ सैरातों की विभागीय वसूली की गई थी। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र०सं०	सैरात का नाम	सुरक्षित राशि (वित्तीय वर्ष 10–11 से 10% अधिक)	विभागीय वसूली	न०प० को हानि	अभ्युक्ति
1	सब्जी मंडी	52580/–	38375/–	14205/–	13555/–
2	लोडिंग एवं अनलोडिंग	10780/–	–	10780/–	–
3	टिन–टिकट	13750/–	–	13750/–	–

4	शौचालय	12100/–	–	12100/–	–
			कुल–	**50835/–**	

सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण नगर पंचायत को कुल ₹50835/– की हानि हुई। अतः 50835/– की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय एवं अगले अंकेक्षण को दिखलाया जाय।

(IV) 2011–12 में सैरातों की विभागीय वसूली में कम जमा(₹13,555.00)

संचिका व पंजी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 में सैरातों की बन्दोवस्ती नहीं की गई। सब्जी मण्डी की बन्दोवस्ती हेतु प्रभारी सहायक द्वारा दिनांक 05/04/10 को डाक की तिथि एंव समय निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव दिया गया लेकिन अग्रेतर कार्रवाई नहीं की गयी।

पुनः दिनांक 03/05/11 को प्रधान सहायक श्री कृष्ण सिंह द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि डाक की तिथि निर्धारित की जाय तबतक विभागीय वसूली की जाय। अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन दिया गया कि जबतक बंदोबस्ती नहीं होती है, तबतक 4% की दर से कमीशन पर श्री राजेश कुमार पंकज के द्वारा वसूली कराया जाय। तदुपरांत दिनांक 31.05.11 को अध्यक्ष के निर्देशानुसार श्री राजेश कुमार पंकज को 125/– प्रतिदिन के दर से अग्रेतर आदेश तक वसूली करने का आदेश दिया गया। श्री पंकज द्वारा दिनांक 01/06/11 से 24/08/11 तक वसूली किया गया।

इस हेतु कुल 146 दिन का ₹18250/– (146 x 125) जमा करना था जिसमें से उनके द्वारा 4695/– ही जमा किया गया था। शेष राशि ₹13555/– अबतक उनके पास लंबित था। अतः शेष राशि 13555/– की वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण को दिखलाया जाय।

15. संचार व मोबाईल टावरों का अपंजीकृत रहना एंव ₹ 404000/– शुल्क बकाया रहना

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाइल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार नियमावली 2012 दिनांक 08/10/12 को अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त नियमावली के नियम 6(I)के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क ₹ 30,000.00 प्रतिवर्ष प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क ₹8000.00 प्रतिवर्ष प्रति टावर निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उक्त वर्णित पंजी करण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क स्थापित करने के समय से पूर्व वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा।

नगर निकाय द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये संचिका के अनुसार नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत 7 मोबाईल टावर अधिष्ठापित थे जिसमें से 6 टावर उपर्युक्त नियमावली के अनुसार नगर निकाय से अपंजीकृत थे एवं उपरोक्त नियमावली के अनुसार अधिष्ठापित टावरों पर ₹ 404000/– शुल्क बकाया था। बकाया शुल्क ₹4,04,000.00 की वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा कराया जाय एवं अगले अंकेक्षण को दिखलाया जाय।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–IV पर संलग्न है।)

16(i) असमायोजित अग्रिमः–

नगर पंचायत द्वारा संधारित अग्रिम पंजी के अनुसार 31/03/12 तक नगर पंचायत द्वारा भुगतान अग्रिम समायोजन एवं लंबित अग्रिम का वर्णन निम्न प्रकार है:–

कुल अग्रिम	**समायोजन**	**लम्बित**
833135/–	38835/–	794300 /–

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट V पर संलग्न है।)

अंकेक्षण टिप्पणीः–

अग्रिम पंजी के अनुसार अंकेक्षण तिथि तक नगर पंचायत के कर्मी, वार्ड पार्षद एवं विभिन्न फर्म के पास कुल 794300/– अग्रिम लम्बित था। जबकि सभी वार्ड पार्षद पदच्यूत हो चुके थे।

लम्बित अग्रिम का समायोजन एवं वसूली हेतु क्या प्रयास किया गया, अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया एवं लम्बित अग्रिम की वसूली हेतु की कारवाई से भी अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया। अतः अग्रिम राशि 7,94,300/– का समायोजन/वसूली कर अगले अंकेक्षण को दिखलाया जाय।

16(ii)अग्रिम राशि अग्रिम पंजी में दर्ज नहीं(राशि ₹5900.00)

रोकड़ बही, चेक निर्गत पंजी एवं पास बुक के नमूना जाँच में पाया गया कि चेक पंजी एवं बैंक पासबुक के अनुसार कुल 5900/– का भुगतान पूर्व कर संग्राहक (कमीशन ऐजन्ट) श्री राजेश कुमार पंकज को किया गया था, जिसकी प्रविष्टि न तो रोकड़ बही में पायी गयी न ही राशि अग्रिम पंजी में ही दर्ज थी। जबकि श्री पंकज के द्वारा नगर पंचायत में वर्तमान में कार्य नहीं किया जा रहा है। भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:–

चेक संख्या तिथि	राशि(₹)
903761 / 03.04.2010	3000 / –
903762 / 03.04.2010	2900 / –
कुल–	5900 / –

लेखा परीक्षा आपत्ति के उपरांत उत्तर दिया गया कि विभिन्न कार्य हेतु अग्रिम दिया गया था एवं इसे अग्रिम पंजी में दर्ज कर दिया गया है। अतः अग्रिम राशि ₹5900.00 का सामंजन / वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाय।

17. अंकेक्षण का परिणामः–

नगर पंचायत महाराजगंज का वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2011–12 की लेखा परीक्षा का परिणाम निम्न प्रकार थाः–

क्रमांक	विवरण	राशि(₹)
(I)	अंकेक्षण के दौरान वसूली राशि	शून्य
(II)	वसूली हेतु सुझाई गयी राशि	₹10,41,105.00
(III)	अंकेक्षण आपित्त के अधीन राशि	शून्य
(IV)	अधिभार से वसूली हेतु सुझायी राशि	शून्य

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–VI पर है)

18. कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालापः–

नगर पंचायत महाराजगंज के लेखा परीक्षा के दौरान समय–समय पर एवं अंकेक्षण समाप्ति के दिन कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालाप किया गया था।

19. सामान्य अभ्युक्तिः—

नगर पंचायत द्वारा या तो प्रमुख अभिलेख संधारित ही नहीं किये गए थे अथवा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण संधारित किए गए थे। जिन प्रमुख अभिलेखों का संधारण ही नहीं किया गया था उनमें प्रमुख हैः— वार्षिक लेखा, बजट, अनुदान पंजी, माँग दैनिक संग्रह पंजी, कैशियर कैश बुक, स्टॉक पंजी एवं संग्रह पंजी इत्यादि। अपूर्ण तथा त्रूटिपूर्ण संधारित की गई अभिलेखों में रोकड़ बही, योजना पंजी, अग्रिम पंजी आदि। वसूली की गयी कुछ राशियॉ नगर पंचायत निधि में जमा नहीं की गयी थी। नगर पंचायत द्वारा नये दर से कराधान नहीं करने से नगर पंचायत की आय में लगातार क्षति हो रही है।

नगर पंचायत द्वारा मौलिक अभिलेखों के संधारण एंव इसके स्वयं की आय में वृद्धि करने हेतु न०प० प्रशासन द्वारा सार्थक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

ह०/-

अखिलेश पासवान
(पर्यवेक्षक)
—अनुमोदित—

उपमहालेखाकार(एस0 एस0.I)
—सह—
स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार

१३९

सं०एल०ए०/एस०एस०.1/श० स्था० नि०/ दिनांकः–

कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत महाराजगंज (सिवान) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का अनुपालन अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महीनों के अंदर नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति को समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

"यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।"

-ह०-
व०लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर.I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार ,पटना

सं०एल०ए०/एस०एस०.1/श० स्था० नि०/14367/1306 दिनांकः–16.08.2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः

(i) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना

(ii) जिलाधिकारी, सिवान

व० लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर.I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

परिशिष्ट - I (a)

(प्रतिवेदन की कण्डिका 3 से संदर्भित)

अभिलेख/पंजी जो अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।-

1. सामान्य रोकड़ बही एवं योजना रोकड़ बही | (गंदी बस्ती एवं एस.जे.एस.आर.वाई)
2. बैंक पास बुक / ट्रेजरी विवरणी
3. 'एच' रसीद
4. विविध रसीद
5. आस्ति (अंशतः)
6. संचिकाएँ (अंशतः)
    - (a) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
    - (b) एकादश वित्त आयोग
    - (c) द्वादश वित्त आयोग
7. वेतन भुगतान पंजी
8. योजना पंजी (अपूर्ण)

महेन्द्र
लेखापरीक्षक

परिशिष्ट – I (b)

(प्रतिवेदन की कंडिका 3 से संदर्भित)

अभिलेख / पंजी जो था जो अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया अथवा संधारित नहीं किया गया था।

1. स्टॉक पंजी
2. दैनिक वसूली पंजी
3. सैरात पंजी
4. वार्षिक लेखें
5. बजट
6. अनुदान पंजी / अनुदान विनियोग पंजी
7. मॉंग एवं वसूली पंजी
8. अग्रिम पंजी
9. विभागीय वसूली पंजी
10. लॉग बुक (वैकल्प का)
11. सम्पदा पंजी
12. मोबाइल टावर संबंधित संचिकाएं

महेन्द्र कुमार
लेखापरीक्षक

परिशिष्ट – II
(प्रतिवेदन की कंडिका सं०-7 से संबंधित)
विवरणी

वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में प्राप्त सरकारी अनुदान की राशि का विवरणी

क्रमांक	पत्रांक/चेक/बिल सं.	तिथि	राशि	किसका का नाम	मद का नाम	रोकड़बही में दर्ज की तिथि	बैंक में जमा की तिथि	बैंक का नाम	खाता सं.
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	888610	20-05-10	11,52,760=00	उप विकास आयुक्त सिवान सह मुख्य कार्यपालक पदा० जिला परिषद द्वारा -	BRGF	20-5-2010	20-05-2010	उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महाराजगंज	051
2.	232A/010036	18-06-2010	3,11000=00	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग-सिवान	कबीर अंत्ये० योजना	17-7-2010	17-7-2010	" "	" "
3.	95/17-8-2010	17-8-2010	8,00000=00	नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना	13 वें वित्त	30-03-2011	30-03-2011	कोषागार सिवान	844800109000 2
4. -	1737506 1737722 अनुज्ञप्ति राशि	23-05-2011	8,00000=00 2236=00	— — —	13 वें वित्त	23-05-2011	23-5-2011	पंजाब नेशनल बैंक महाराजगंज	03490001001 08983
5.	13/	04-08-2011	10,00000=00	- - —	13 वें वित्त	20-03-2012	20-03-2012	जिला कोषागार सिवान	844800109000 2
6.	49/	12-03-2012	14,43000=00	— — —	13 वें वित्त	30-03-2012	30-03-2012	— — —	— — — —
7.	36/	25-01-2012	61,200=00	[illegible]	[illegible]	30-03-2012	30-03-2012	— — -	— — —
8.	60/52	19-03-2012	22,64,760=00	— — — -	चतुर्थ वित्त आयोग	30-03-2012	30-03-2012	— — —	— — — —
9.	60/52	19-03-2012	16,53,187=00	— —	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	30-03-2012	30-03-2012	— —	— —
10.	61/53	19-03-2012	20,00000=00	— —	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग असम्बद्ध मद	30-3-2012	30-03-2012	— —	— —
11.	227/	18-12-2010	1,08500=00		जनगणना	26-02-2011	26-02-2011	पंजाब नेशनल बैंक महाराजगंज	03490001001 08983
12.	98/	12-03-2011	78000=00		जनगणना	31-03-2011	31-03-2011	" "	" " "
13.	410/864529	16-06-2011	2718=00		पशुगणना	14-07-2011	14-07-2011	" "	" " "
			11683361=00						

132

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में प्राप्त सरकारी अनुदान की राशि की विवरणी-

क्रमांक	पत्रांक/चेक/बिल सं०	दिनांक	राशि	विभाग का नाम	मद का नाम	रोकड़बही में दर्ज की तिथि	बैंक में जमा की तिथि	बैंक का नाम	खाता सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	04/ 04/ 03/ 013	28-02-2012	1,71,400=00	जिला पदाधिकारी मुख्यालय जनजाति कल्याण विभाग	[illegible]	27-03-2012	27-03-2012	भारतीय स्टेट बैंक महाराजगंज	11451470131

G. टोटल - 11,85,476/=00

[illegible]

परिशिष्ट - III

ग्राम पंचायत के कर संग्राहकों द्वारा मकान कर की राशि का कम व नहीं जमा का विवरण (प्रतिवेदन की कंडिका -10 से संबंधित)

क्र.	रसीद सं.	अवधि	वसूली राशि	जमा	नहीं जमा	नाम (सर्वश्री)
1	501-600	26.6.10 से 6.12.12	15786	14810/- 1100/- 2700/-		धर्मनाथ प्रसाद
2.	601-700	10-12-10 to 8-3-11	7100/-	3125/- 10050/- 10600/-		
3.	151-200	3-1-12 to 8-2-12	12820/-	11500/- 10500/-		
4.	201-250	13-3-12 to 10-4-12	10382/-	2750/- 6000/-		
5.	301-350	3-4-12 to 17-4-12	10050/-	3450/- 3700/-		
6.	251-300	13-4-12 to 13-4-12	10600/-	7800/- 1800/-		
7.	351-400	17-4-12 to 20-4-12	12400/-	8350/- 950/-		
8.	401-450	21-4-12 to 30-6-12	11269/-	1340/-		
9.	451-500	19-7-12 to 11-9-12	10541/-	5600/- 2000/-		
10.	501-550	20-9-12 to 27-9-12	6000/-	2300/-		
11.	551-600	29-9-12 to 1-12-12	8390/-	5600/-		
12.	601-650	13-12-12 to 2-1-13	9660/-	274/-		
13.	650-700	8-1-13 to 31-1-13	9600/-			
			134598/-	118216/-	16382/-	
14.	1-50	20-6-11 to 6-7-11	5100/-			श्रीकृष्ण सिंह ठाकुर
15.	51-100	6-7-11 to [illegible]	6040/-	18026/-	100/-	